न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 38/2023

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. सुखप्रीत कौर पत्नी सुखजिन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी तहसील एफ श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 22.03.2023

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय-- दिनांक : 22.03.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 41 एफ के मुरब्बा नम्बर 35 राजस्व (सिंचाई में 35/33) के किला नम्बर 1 ता 5 की कुल 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि अलॉटमेंट हुई थी। बाद में सी.सी.ए. में कमाण्ड होने पर उक्त रकबे पर पानी दिया गया। जिसकी अन्तरराशि अदा कर दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 617 दिनांक 20.03.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार तहसील कार्यालय के सैल रजिस्टर संख्या 7 के पृष्ठ संख्या 58 के मुताबिक चक 41 एफ के मुरब्बा नम्बर 35 के 10 बीघा बारानी रकबा बचन सिंह पुत्र गुदड सिंह के नाम आवंटित है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के पंत्राकः राजस्व/2023/41एफ द्वितीय/9164 दिनांक 20.03.2023 के अनुसार चक 41 एफ के मुरब्बा नम्बर 35 राजस्व (सिंचाई में 35/33) के किला नम्बर 1 ता 5 में 0.932 हेक्टैयर भूमि गंगनहर प्रणाली के आगमन से ही सीसीए में सामिल है एंव निरंतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पंत्राक सी.सी. एफ 70 ( )डी.आर.ए. 1484 दिनांक 14.02.1986 की पालना में 11531.25 रुपए अन्तराशि बनती थी जो चालान नम्बर 2750 दिनांक 05.03.1986 रुपए 2306.25 एंव चालान नम्बर 44-45 दिनांक 05.03.1992 से 9225 कुल 11531.25 रुपए जमा है। अन्तराशि की कोई राशि शेष नहीं है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 27 की अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उतरखण्ड श्रीगंगानगर के पंत्राक 9164 दिनांक 20.03.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है। कि प्रार्थी द्वारा चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 27 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 की 0.029 हेक्टैयर, किला नम्बर 2 की 0.215 हेक्टैयर, किला नम्बर 3 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 4 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 5/1 की 0.177 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार तहसील कार्यालय के सैल रजिस्टर संख्या 7 के पृष्ठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:55:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

संख्या 58 के मुताबिक चक 41 एफ के मुरब्बा नम्बर 35 के 10 बीघा बारानी रकबा बचन सिंह पुत्र गुदड सिंह के नाम आवंटित है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के पंत्राकः राजस्व/2023/41एफ द्वितीय/9164 दिनांक 20.03.2023 के अनुसार चक 41 एफ के मुरब्बा नम्बर 35 राजस्व (सिंचाई में 35/33) के किला नम्बर 1 ता 5 में 0.932 हेक्टैयर भूमि गंगनहर प्रणाली के आगमन से ही सीसीए में सामिल है एंव निरंतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पंत्राक सी.सी. एफ 70 ( )डी.आर.ए. 1484 दिनांक 14.02.1986 की पालना में 11531.25 रुपए अन्तराशि बनती थी जो चालान नम्बर 2750 दिनांक 05.03.1986 रुपए 2306.25 एंव चालान नम्बर 44-45 दिनांक 05.03.1992 से 9225 कुल 11531.25 रुपए जमा है। अन्तराशि की कोई राशि शेष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखंड श्रीगंगानगर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 27 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 की 0.025 हेक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.215 हेक्टेयर, किला नम्बर 3 की 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 4 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 5/1 की 0.177 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक २२ .03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:55:33 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 58 के मुताबिक चक 41 एफ के मुरब्बा नम्बर 35 के 10 बीघा बारानी रकबा बचन सिंह पुत्र गुदड सिंह के नाम आवंटित है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगंगानगर के पंत्राकः राजस्व/2023/41एफ द्वितीय/9164 दिनांक 20.03.2023 के अनुसार चक 41 एफ के मुरब्बा नम्बर 35 राजस्व (सिंचाई में 35/33) के किला नम्बर 1 ता 5 में 0.932 हेक्टैयर भूमि गंगनहर प्रणाली के आगमन से ही सीसीए में सामिल है एंव निरंतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पंत्राक सी.सी. एफ 70 ( )डी.आर.ए. 1484 दिनांक 14.02.1986 की पालना में 11531.25 रुपए अन्तराशि बनती थी जो चालान नम्बर 2750 दिनांक 05.03.1986 रुपए 2306.25 एंव चालान नम्बर 44-45 दिनांक 05.03.1992 से 9225 कुल 11531.25 रुपए जमा है। अन्तराशि की कोई राशि शेष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखंड श्रीगंगानगर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 27 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 की 0.025 हेक्टैयर, किला नम्बर 2 की 0.215 हेक्टैयर, किला नम्बर 3 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 4 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 5/1 की 0.177 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक २२ .03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जोकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:55:33 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सुखप्रीत कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर **38/2023**

निर्णय दिनांक :- 22.03.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र अन्र्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 27 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 की 0.025 हेक्टैयर, किला नम्बर 2 की 0.215 हेक्टैयर, किला नम्बर 3 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 4 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 5/1 की 0.177 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 22.03.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/161 दिनांकः 22.03.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:55:33 IST
Reason: SelfAttested